

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-25/2022- 3126
प्रेषक,

व०प०, राँची, दिनांक- 19/10/2022

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय,
हरमू चौक, राँची-834002।

विषय :- मेसर्स झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० द्वारा चतरा जिला अंतर्गत 132 K.V. D/C ईटखोरी-चतरा ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल-55.217 हे० (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल-53.679 हे० एवं चतरा उत्तरी वन प्रमंडल-1.538 हे०) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-531 दिनांक-22.06.2022 एवं पत्रांक-890 दिनांक-02.09.2022 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।


विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-

- (1) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि के NPV का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।
- (3) प्रस्तावित वनभूमि के दोगुणे के विरुद्ध चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा-जागुडीह एवं चकरबार में चिन्हित कुल-111.00 हे० अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- (4) संबंधित वन संरक्षक के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रस्तावित शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के लिए बाध्यकारी होगा।
- (5) CWLW के मंतव्य में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के लिए बाध्यकारी होगा।
- (6) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के लिए बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।


विश्वासभाजन


(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वन भूमि-25/2022- 3126

व०प०, राँची, दिनांक- 19/10/2022


प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वन भूमि-25/2022- 3126

व०प०, राँची, दिनांक- 19/10/2022

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/वरीय प्रबंधक, ट्रांसमिशन डिवीजन, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि०, 1st Floor, श्रीगारी कॉम्प्लेक्स, कनेरी हिल रोड, हजारीबाग, झारखण्ड-825301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप परामर्शी।

o/c

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 55.217 ha of Forest Land for construction of 132 KV D/C Itkhori to Chatra Transmission Line under Chatra South & North Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for Diversion of 55.217 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no-3126 dated-19/10/2022.


14/10/22
Rajdeep Sanjay Lal John

Joint Secretary
Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

संयुक्त सचिव
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची
(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi